"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 684]　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 नवम्बर 2024 —— कार्तिक 13, शक 1946

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8–2/2022/10–2. – वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम, 1972 का सं. 53) की धारा 38–फ की उप–धारा (1) सहपठित उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को **''गुरू घासीदास–तमोर पिंगला टायगर रिजर्व''** अधिसूचित करती है:–

अनुसूची

जिला	–	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर.
वनमंडल	–	मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर.
परिक्षेत्र	–	**कोर एरिया (क्रिटिकल टायगर हैबिटेट):–** गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र जनकपुर, कमर्जी, रामगढ़, रेहण्ड, एवं सोनहत. तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र खोड, पिंगला एवं तमोर. **बफर एरिया :** मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र–बहरासी एवं जनकपुर. कोरिया वनमण्डल के परिक्षेत्र–देवगढ़, कोटाडोल एवं सोनहत. सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र–बिहारपुर, घुई एवं कुदरगढ़. बलरामपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र–रघुनाथ नगर एवं वाड्रफनगर.